प्रारंभ - 16:11 बजे ।

Witness No.	**04**	for	**अभियोजन साक्ष्य**	Deposition taken

the	**30-07-2024**	day of	**मंगलवार**	Witness's apparent age	**60 वर्ष**

State on affirmation	**शपथपूर्वक**	my name is	**चैती बाई**
W/of	**श्री रामायण सिंह**	occupation	**गृहणी ।**
addres	**सिरकी, थाना - दीपका, जिला - कोरबा, छ०ग० ।**		

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विश्वजीत देवनाथ ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

1. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी रामेश्वर मरावी को जानती हूँ । वह मेरी भतीजी महिमा का पति है । मृतिका महिमा मेरी भतीजी है । मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी का महिमा से किस वर्ष शादी हुआ था ।

2. घटना हुये 02 वर्ष नहीं हुआ है । मुझे मेरी छोटी भतिजी पूजा सुबह लगभग 04 बजे फोन की और मुझे कोरबा अस्पताल बुलायी और कहा कि आप आ जाओं । तब मैं कोरबा अस्पताल पहुँच तो पता चला कि महिमा की मृत्यु हो गयी है । मेरे सामने महिमा के शव का पंचनामा किया गया । पुलिसवालों ने मुझे उक्त पंचनामा कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया था । परन्तु **प्र०पी० 06** में मेरे **अ** से **अ** भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिसवालो ने मेरे

साक्षी का हस्ताक्षर –

समक्ष महिमा के शव का पंचनामा की कार्यवाही किया गया । नक्शा पंचायतनामा **प्र०पी० 07** के **अ** से **अ** भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

3. मृतिका के दो लड़कियां थे । मैंने पूजा से पूछा कि महिमा ने क्यो जहर खा लिया था । उस समय मुझे पूजा ने जहर क्यों खाया यह नही बताया था । बाद में मुझे पता चला कि महिमा का पति उसके साथ मारपीट करता है इसलिये उसने जहर खा लिया । पुलिसवाले मुझसे पूछताछ किये थे ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस०एस० वर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

4. यह कहना सही है कि जहर खाने वाली बात जो मैं अपने मुख्य परीक्षण में बतायी हूँ वह सुनी-सुनायी बात के आधार पर बतायी हूँ । यह कहना सही है कि मेरे सामने आरोपी ने मृतिका के साथ मारपीट नहीं किया था । यह कहना सही है कि मारपीट वाली बात जो अपने मुख्य परीक्षण में बतायी हूँ वह भी सुनी-सुनायी बात है ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समयः- 16:25 बजे ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग

साक्षी का हस्ताक्षर –

प्रारंभ - 15:32 बजे ।

Witness No.	**03**	for	**अभियोजन साक्ष्य**	Deposition taken

the	**30-07-2024**	day of	**मंगलवार**	Witness's apparent age	**65 वर्ष**

State on affirmation	**शपथपूर्वक**	my name is	**श्रीमती दशोदा बाई**
W/of	**श्री चंदन सिंह**	occupation	**गृहणी ।**
addres	**सिरकी, थाना - दीपका, जिला - कोरबा, छ०ग० ।**		

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विश्वजीत देवनाथ ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

1. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी रामेश्वर मरावी को जानती हूँ । वह मेरा नाती दामाद है । मैं मृतिका महिमा की छोटी दादी हूँ, वह मेरी नातिनी है । मेरा घर मृतिका महिमा के मायके (माँ) के घर के बगल मे है ।

2. वर्ष 2017 में महिमा की शाद आरोपी रामेश्वर मरावी के साथ हुई थी । लगभग 02 वर्ष पूर्व सुबह 06-07 बजे मैं रोज की तरह शांति बाई (महिमा की माँ) के घर पानी लेने के लिये गयी तो उसकी छोटी लड़की को उदास देखकर पूछी क्या हुआ? तो बतायी कि मेरी दीदी महिमा जहर खा ली है जिसे देखने के लिये माँ कटघोरा के अस्पताल गयी है । यह सुनकर मैं पानी लेकर वापस आ गयी । दोपहर तीन बजे मुझे खबर मिली कि महिमा को कटघोरा से कोरबा

साक्षी का हस्ताक्षर –

अस्पताल रिफर कर दिये है और रात में 03 बजे मुझे फोन से खबर मिली कि महिमा की मृत्यु हो गयी है । मैंने ऐसा सुना था कि आरोपी शराब पीकर आता जिसके कारण दोनों पति-पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ था । जिसके कारण महिमा ने जहर खा लिया था । पुलिसवाले मुझसे पूछताछ किये थे ।

नोट-इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचार बाद अनुमति दी गई ।

3. साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र०पी० 05** का **अ** से **अ** भाग " शांति बाई की लड़की---------- अपने साथ ले गया" को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को दिया जाना बताया है ।

4. साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र०पी० 05** का **ब** से **ब** भाग "महिमा मरावी ने ---------- आकर बैठी " को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को दिया जाना बताया है । यह कहना सही है कि उक्त बात मैं भूल गयी थी, पढ़कर सुनाये जाने पर मुझे याद आ गया ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस०एस० वर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

5. मृतिका की माँ शांति बाई मेरी बहू है । यह कहना गलत है कि मैं जब महिमा हमारे गाँव सिरकी आयी थी तब जो मीटिंग करायी गयी उस मीटिंग में मैं नही गयी थी । यह कहना सही है कि उक्त मीटिंग में मेरी बहुरिया शांति बाई की पुत्री महिमा मरावी अपनी स्वेछा से अपने ससुराल जाना बोली थी । यह कहना सही है कि उक्त मीटिंग में किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई और महिमा

साक्षी का हस्ताक्षर –

अपने पति के साथ अपने ससुराल खुशी-खुशी चली गयी थी।यह कहना सही है कि मुझे महिमा के द्वारा जहर खा लेने की बात शांति बाई की छोटी लड़की भारती के द्वारा बतायी गयी थी । यह कहना सही है कि मेरी महिमा के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी । यह कहना सही है कि **प्र०पी० 05** का **ब** से **ब** भाग की बात "महिमा मरावी ने ---------- आकर बैठी " वाली बात मुझे शांति बाई की छोटी लड़की के द्वारा बताया गया था । यह कहना सही है कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं देखी हूँ, सुनी हुई बात बतायी हूँ ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समयः- 16:03 बजे ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग

साक्षी का हस्ताक्षर –